# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

**पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस**

क्रमांक रीडर / 2022 / 2016 दिनांक – 25.7.2022

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 इन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा नगर, सरणु तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर। | | 1 भंवरसिंह पुत्र मोबतसिंह 2 जयसिंह 3 अबसिंह पिसरान हमीरसिंह 4 दीपसिंह 5 गुलाबसिंह पिसरान पूजराजसिंह 6 भूराराम 7 उमाराम 8 मलाराम पिसरान रणछोड़ाराम 9 रामाराम 10 नरसिंगाराम पिसरान मगाराम 11 पपुराम पुत्र मंगलाराम निवासी इन्द्रानगर सरणू तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत**

राजस्व आवेदन संख्या :– 286 / 2021 दिनांक– 8.7.22

## आदेश

**उपर्युक्त**, प्रकरण मौजा इन्द्रानगर पटवार क्षेत्र सरणु तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 229 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 230 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 484 / 231 रकबा 82.03 बीघा रकबा 82.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस / पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500 / – अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर / 2022 / 2017-20 दिनांक– 25.7.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रीमण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणु तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. इन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा नगर, सरणु तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी भंवरसिंह पुत्र मोबतसिंह वगैरार जाति राजपूत निवासी इन्द्रा नगर, सरणु तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर